

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
एस.पी.एम.यू., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद इलाहाबाद, बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, एटा, फर्लखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कासगंज, गोण्डा,
संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, मिर्जापुर,
सोनभद, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर।

पत्रांक : एस.पी.एम.यू./नर्सिंग सेल/नर्स मेन्टर्स/12/2015-16/५७-२५ दिनांक : १५-४-८

विषय: 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के एन०एच०एम० नर्स मेन्टर्स ब्लॉकों में मिनी स्किल लैब स्थापित किये जाने हेतु सम्बंधी दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या एवं विशिष्ट सूचकांकों को ध्यान में रखते हुये 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में RMNCH+A सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किये जाने के लिए नर्स मेन्टर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नर्स मेन्टर कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त 25 जनपदों में 100 नर्स मेन्टर उत्तर प्रदेश टेक्निकल सोर्पोर्ट यूनिट के माध्यम से तथा 50 नर्स मेन्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से तैनात की गयी हैं।

परियोजना का उद्देश्य: परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :-

1. उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रमियों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षित करना।
2. प्रसव इकाइयों पर स्वास्थ्य सुविधा हेतु आवश्यक औषधियों, उपकरणों की आपूर्ति, अभिलेखों के रख-रखाव की प्रक्रिया, संदर्भन प्रक्रिया एवं संकरण नियन्त्रण कार्यों में सुधार हेतु चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
3. सेवा प्रदाता के ज्ञान, कौशल विकास एवं अभ्यास में सुधार लाना।

परियोजना के एफ०एम०आर० मद संख्या ए.९.८.४.२ for Establishment of Mini Skill Lab under Nurse Mentor Programme के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नविवरण के अनुसार अनुमोदित धनराशि सम्बंधित जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है।

Sl. No.	District	Budget released to DHS on 11.03.2016 (in Lac)	Sl. No.	District	Budget released to DHS on 11.03.2016 (in Lac)
1	Allahabad	1.5	14	Kaushambi	1.5
2	Badaun	1.5	15	L. Kheri	1.5
3	Bahraich	1.5	16	Maharajganj	1.5
4	Balrampur	1.5	17	Mirzapur	1.5
5	Barabanki	1.5	18	Pilibhit	1.5
6	Barielly	1.5	19	Rampur	1.5
7	Etah	1.5	20	SK Nagar	1.5
8	Faizabad	1.5	21	Shahjahanpur	1.5
9	Farrukhabad	1.5	22	Shrawasti	0.75
10	Gonda	2.25	23	Siddharthnagar	1.5
11	Hardoi	1.5	24	Sitapur	1.5
12	Kannauj	1.5	25	Sonbhadra	1.5
13	Kasganj	1.5	Total		37.50

उपर्युक्त के कम में मिनी स्किल लैब की स्थापना हेतु समस्त गतिविधियों का कियान्वयन जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जाना है।

- i. **कक्ष का निर्धारण:** आप अवगत हैं कि य०पी० टी०एस०य० द्वारा 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपद के चार ब्लॉकों में मिनी स्किल लैब की स्थापना पूर्व में की जा चुकी है, इसी प्रकार एन०एच०एम० नर्स मेन्टर्स के दो ब्लॉकों में भी मिनी स्किल लैब की स्थापना की जानी है।

अतः सम्बंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा मिनी स्किल लैब की स्थापना के लिए प्रसव कक्ष के समीप अलग से एक कक्ष का निर्धारण किया जाये, जिसमें कम से कम दो मेज, चार कुर्सी एवं एक आलमारी आसानी से रखी जा सके एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो।

- ii. **मिनी स्किल लैब:** मिनी स्किल लैब की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण जैसे—बी0पी0 अपरेटस, बेबी वेइंग मशीन, स्टेथोस्कोप, ममा नेटैली, ममा यू हीमोग्लोबिनमीटर एवं औजार जैसे—कॉर्ड वलैम्प, आदि तथा संक्मण से बचाव लिए आवश्यक सामग्री/कन्जयूमेबल्स आदि की व्यवस्था की जानी है। मिनी स्किल लैब से सम्बंधित समस्त उपकरणों/औजारों की सूची एवं उनके स्पेसिफीकेशन संदर्भ हेतु संलग्न किये जा रहे हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त मेनेकिवन्स एवं मॉडल्स आदि का क्य भी किया जाना है, जिन उपकरणों की कीमत एक लाख से अधिक है ऐसी स्थिति में शासकीय क्य नियमों का पालन करते हुए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 30 जून 2016 तक क्य की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये। (आवश्यक उपकरणों/औजारों की सूची एवं स्पेसिफीकेशन संलग्न-1)।
- iii. **मिनी स्किल लैब गाइड निर्देश:** यू०पी० टी०एस०यू० द्वारा मिनी स्किल लैब स्थापित करने एवं उसके समुचित उपयोग करने के लिए Guidance note on use of Mini Skill Lab जारी की गई है, जिसमें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स मेन्टर्स की जिम्मेदारियों के साथ प्रशिक्षण तकनीक एवं विभिन्न स्किल स्टेशनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है (मिनी स्किल लैब गाइड संलग्न-2)।
- iv. **'थर्ड पार्टी' परीक्षण :** परियोजना के अन्तर्गत मिनी स्किल लैब हेतु क्य किये गये समस्त उपकरणों एवं औजारों आदि की गुणवत्ता का परीक्षण 'थर्ड पार्टी' द्वारा किया जाना है। यह कार्य यू०पी० टी०एस०यू० के अधिशासी निदेशक द्वारा नामित सदस्य के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कष्ट करें।

भवदीय,
Aruna

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक : एस.पी.एम.यू./नर्सिंग सेल/नर्स मेन्टर्स/12/2015-16/ तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- अधिशासी निदेशक, टी०एस०यू० उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अपर मिशन निदेशक, एन०एच०एम० उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- वित्त नियंत्रक, एन०एच०एम० उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- सम्बंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- सम्बंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
- सम्बंधित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, सिपसा/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- सम्बंधित जनपदीय कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० मधु शर्मा)
महाप्रबन्धक, नियोजन

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
एस.पी.एम.यू., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद इलाहाबाद, बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, एटा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कासगंज, गोणडा,
संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, मिर्जापुर,
सोनभद, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर।

पत्रांक : एस.पी.एम.यू./नर्सिंग सेल/नर्स मेन्टर्स/12/2015-16/

दिनांक : २०-१३-४-१६

विषय: 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के एन०एच०एम० नर्स मेन्टर्स ब्लॉकों में मिनी स्किल लैब स्थापित किये जाने हेतु सम्बंधी दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या एवं विशिष्ट सूचकांकों को ध्यान में रखते हुये 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में RMNCH+A सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किये जाने के लिए नर्स मेन्टर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नर्स मेन्टर कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त 25 जनपदों में 100 नर्स मेन्टर उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के माध्यम से तथा 50 नर्स मेन्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से तैनात की गयी हैं।

परियोजना का उद्देश्य: परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :-

1. उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रियों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षित करना।
2. प्रसव इकाइयों पर स्वास्थ्य सुविधा हेतु आवश्यक औषधियों, उपकरणों की आपूर्ति, अभिलेखों के रख-रखाव की प्रक्रिया, संदर्भन प्रक्रिया एवं संकरण कार्यों में सुधार हेतु चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
3. सेवा प्रदाता के ज्ञान, कौशल विकास एवं अभ्यास में सुधार लाना।

परियोजना के एफ०एम०आर० मद संख्या ए.९.८.४.२ for Establishment of Mini Skill Lab under Nurse Mentor Programme के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नविवरण के अनुसार अनुमोदित धनराशि सम्बंधित जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है।

Sl. No.	District	Budget released to DHS on 11.03.2016 (in Lac)	Sl. No.	District	Budget released to DHS on 11.03.2016 (in Lac)
1	Allahabad	1.5	14	Kaushambi	1.5
2	Badaun	1.5	15	L. Kheri	1.5
3	Bahraich	1.5	16	Maharajganj	1.5
4	Balrampur	1.5	17	Mirzapur	1.5
5	Barabanki	1.5	18	Pilibhit	1.5
6	Barielly	1.5	19	Rampur	1.5
7	Etah	1.5	20	SK Nagar	1.5
8	Faizabad	1.5	21	Shahjahanpur	1.5
9	Farrukhabad	1.5	22	Shrawasti	0.75
10	Gonda	2.25	23	Siddharthnagar	1.5
11	Hardoi	1.5	24	Sitapur	1.5
12	Kannauj	1.5	25	Sonbhadra	1.5
13	Kasganj	1.5	Total		37.50

उपर्युक्त के कम में मिनी स्किल लैब की स्थापना हेतु समस्त गतिविधियों का कियान्वयन जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जाना है।

- i. **कक्ष का निर्धारण:** आप अवगत हैं कि यू०पी० टी०एस०य० द्वारा 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपद के चार ब्लॉकों में मिनी स्किल लैब की स्थापना पूर्व में की जा चुकी है, इसी प्रकार एन०एच०एम० नर्स मेन्टर्स के दो ब्लॉकों में भी मिनी स्किल लैब की स्थापना की जानी है।

अतः सम्बंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा मिनी स्किल लैब की स्थापना के लिए प्रसव कक्ष के समीप अलग से एक कक्ष का निर्धारण किया जाये, जिसमें कम से कम दो मेज, चार कुर्सी एवं एक आलमारी आसानी से रखी जा सके एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो।

- ii. मिनी स्किल लैब: मिनी स्किल लैब की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण जैसे—बी०पी० अपरेटस, बेबी वेइंग मशीन, स्टेथोस्कोप, ममा नेटैली, ममा यू हीमोग्लोबिनमीटर एवं औजार जैसे—कॉर्ड वलैम्प, आदि तथा संकरण से बचाव लिए आवश्यक सामग्री/कन्जयूमेबल्स आदि की व्यवस्था की जानी है। मिनी स्किल लैब से सम्बंधित समस्त उपकरणों/औजारों की सूची एवं उनके स्पेसिफीकेशन संदर्भ हेतु संलग्न किये जा रहे हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त मेनेकिवन्स एवं मॉडल्स आदि का क्य भी किया जाना है, जिन उपकरणों की कीमत एक लाख से अधिक है ऐसी स्थिति में शासकीय क्य नियमों का पालन करते हुए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 30 जून 2016 तक क्य की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये। (आवश्यक उपकरणों/औजारों की सूची एवं स्पेसिफीकेशन संलग्न—१)।
- iii. मिनी स्किल लैब गाइड निर्देश: यू०पी० टी०एस०यू० द्वारा मिनी स्किल लैब स्थापित करने एवं उसके समुचित उपयोग करने के लिए Guidance note on use of Mini Skill Lab जारी की गई है, जिसमें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स मेन्टर्स की जिम्मेदारियों के साथ प्रशिक्षण तकनीक एवं विभिन्न स्किल स्टेशनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है (मिनी स्किल लैब गाइड संलग्न—२)।
- iv. 'थर्ड पार्टी' परीक्षण : परियोजना के अन्तर्गत मिनी स्किल लैब हेतु क्य किये गये समस्त उपकरणों एवं औजारों आदि की गुणवत्ता का परीक्षण 'थर्ड पार्टी' द्वारा किया जाना है। यह कार्य यू०पी० टी०एस०यू० के अधिशासी निदेशक द्वारा नामित सदस्य के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

५१७-२५-१०

पत्रांक : एस.पी.एम.यू./नर्सिंग सेल/नर्स मेन्टर्स/12/2015-16/ तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- अधिशासी निदेशक, टी०एस०यू० उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अपर मिशन निदेशक, एन०एच०एम० उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- वित्त नियंत्रक, एन०एच०एम० उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- सम्बंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- सम्बंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
- सम्बंधित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, सिफसा/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- सम्बंधित जनपदीय कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डॉ मधु शर्मा)
महाप्रबन्धक, नियोजन